

विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2025 के प्रथम गुरुवार हेतु निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी,
मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-03 का उत्तर।

प्रश्न

उत्तर

03 (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों से लिये गये नमूने, असुरक्षित पाये जाने पर जनपद अम्बेडकरनगर में दर्ज हुए मुकदमों की संख्या विगत 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में कुल कितनी थी?

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जनपद अम्बेडकरनगर में खाद्य पदार्थों से लिये गये नमूनों के असुरक्षित पाये जाने पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 03 वाद, 2022-23 में 05 वाद एवं 2023-24 में 12 वाद अर्थात् कुल 20 वाद मा0 न्यायिक न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर में योजित किये गये।

(ख) इन दर्ज मुकदमों में से जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी न्यायालयों से निस्तारित किये गये मुकदमों में जुर्माने की धनराशि प्रति मुकदमे कितनी-कितनी है?

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 एवं तत्सम्बन्धी विनियमावली के प्राविधानों के अनुसार इन दर्ज मुकदमों का विचारण एवं निस्तारण जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी न्यायालयों से सम्बन्धित नहीं है।

(ग) क्या भ्रष्टाचार के आधार पर जुर्माने की धनराशि अति न्यून कर दी जाती है?

जी नहीं।

(घ) यदि हाँ, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे?

प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।